

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांक एफ 73-96/20-3/2006

भोपाल, दिनांक : 25/5/06

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली,

विषय : अशासकीय संस्था संत अलायसियस स्कूल, रिमझा, जबलपुर को सी.बी.एस.ई /
आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र देने बाबत।

महोदय,

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था संत अलायसियस स्कूल, रिमझा को सी.बी.एस.ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जात है।

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि / अधिकारी को नामांकित किया जाये।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों को गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाए।
3. इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण / जांच करने का अधिकार होगा।
4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिती में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधी कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(2)

8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गयी अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घेरलु एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।
11. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.आर.अहिरवार)

अवर सचिव

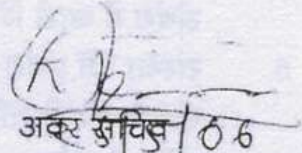
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक:

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 73- /20-3/2006

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर
3. प्राचार्य, अशास, शिक्षण संस्था संत अलायसियस स्कूल, रिमझा, जबलपुर,
4. आर्डर बुक ।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव/06

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


PRINCIPAL

St. Aloysius San. Sec. School
Rimjha, Jabalpur